

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक:- 569 दिनांक:- 25/6/2024

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- चतरा जिला अन्तर्गत एन0एच0-99 चतरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल-64.0849 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा का पत्रांक 245 दिनांक 05.06.2024

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रांसगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना हैं कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं0 FP/JH/Road/146786/2021 हेतु कुल 64.0849 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की चार प्रतियाँ इस कार्यालय में समर्पित की गयी है।

वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल चतरा के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

1. यह परियोजना चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
2. Form-A Part-I के अनुसार इस परियोजना हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को कुल 71.0599 हे0 भूमि की आवश्यकता है जिसमें 64.0849 हे0 वनभूमि एवं 6.975 हे0 गैर वनभूमि शामिल है।
3. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0सं0	वन प्रमण्डल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकवा (हे0 में)	जंगल-झाड़ी का रकवा (हे0 में)	वनस्पति घनत्व
1.	चतरा दक्षिणी	51.1144 हे0	12.9705 हे0	0.4

4. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form-A part-I में अभियुक्ति दर्ज कर आवेदन दर्ज है। तथा भारत सरकार के website पर निर्धारित Format में अभियुक्ति दर्ज कर Upload किया गया है।
5. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण का Authorization Letter संलग्न है।
6. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबावार/संलग्न है।
7. प्रस्ताव के साथ पार्ट-II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा का मंतव्य दर्ज है। संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी चतरा दक्षिणी एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा निर्धारित Format पार्ट-II में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कर website पर अपलोड किया गया है।
8. पार्ट-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य दर्ज कर प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
9. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।
10. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर प्रस्तावित सड़क निर्माण का आरेखन दिखाते हुए संलग्न है।
11. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है।

12. प्रस्ताव के साथ वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।
13. प्रस्ताव के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी द्वारा अपने पार्ट-II में दर्ज अभियुक्ति के अनुसार सड़क निर्माण संरेखन में पड़ने वाले वृक्षों की कुल संख्या 4149 है।
14. प्रस्ताव के साथ लागत-लाभ विश्लेषण संलग्न है।
15. इस परियोजना में अर्तग्रस्त 12.9705 हे० जंगल-झाड़ी वनभूमि के उपयोग हेतु संबंधित आयुक्त उतरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग के पत्रांक 605 दिनांक 13.04.2022 द्वारा प्राप्त अनापति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
16. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित उपायुक्त चतरा के पत्रांक 340 दिनांक 23.02.2022 द्वारा 64.0849 हे० वनभूमि हेतु अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त है। साथ ही इस क्रम में हुई आमसभा/ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न है।
17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।
18. वन प्रमंडल पदाधिकारी चतरा दक्षिणी ने अपने पार्ट-II के कंडिका 11 के उप कंडिका (I) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि पर किसी भी प्रकार की violation नहीं किये जाने की सूचना दी गई है।
19. अपयोजन हेतु प्रस्तावित 64.0849 हे० वनभूमि के दो गुणे क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 128.1698 हे० के विरुद्ध कुल 130 हे० अवकृष्ट वनभूमि का चयन किया गया है। जो निम्नवत् है:-

क्र०सं०	वन प्रमंडल का नाम	मौजा का नाम	थाना एवं थाना नं०	प्लॉट नं०	अवकृष्ट वनभूमि का रकबा हे० में
1	चतरा दक्षिणी	करमा-1	मयूर हण्ड / 252	735, 111, 1118, 1120	30.00 हे०
2		करमा-2	मयूर हण्ड / 252	2049, 2050, 2051	23.00 हे०
3		महेशा	मयूर हण्ड / 261	50,53, 4474	50.00 हे०
4		मंझौली	मयूर हण्ड / 251	1,2	27.00 हे०
कुल :					130.0 हे०

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित अवकृष्ट वनभूमि का नक्शा, DGPS, KML file, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है।

20. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।
21. प्रस्ताव के साथ CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
22. प्रयोक्ता अभिकरण को इस परियोजना हेतु कुल 64.0849 हे० वनभूमि की अपयोजन हेतु अनुरोध किया गया है।
23. वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, चतरा द्वारा अपने पार्ट-III में सूचित किया गया है कि ***“Out of 64.0849 ha. forest land, 60.0849 ha. forest land is related to construction of road and its allied activities. One patch of 4 hectare is proposed for development of road side amenities such as hospital, cafeteria, rest room etc. Therefore the above patch of 4 hectare forest land non site – specifc and it is not recommended for diversion and only 60.0849 ha. forest land is recommended for diversion.”***
24. प्रस्तावित 60.0849 हे० वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है। अधोहस्ताक्षरी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के मंतव्य से सहमत है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा से प्राप्त प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 60.0849 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज-I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(HoFF) का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:-यथोक्त।

मूल प्रस्ताव तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन



प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K. S. N.
25.6.24

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

Construction of NH- 99 Road Chatra – By Pass 60.0849 ha

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance or otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 60.0849 ha of Forest land.

Date :- 25.06.2024

Place :- Ranchi

Signature


(Shashikar Samanta)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi
(Official Seal)